

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2021—फाल्गुन 14, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जनवरी 2021

क्रमांक ई 1-01/2020/एक-2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2020-AIS(I)-B, दिनांक 07-01-2021 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित

पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती जयश्री जैन	07-01-2021	उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
2.	श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी	07-01-2021	अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय
3.	श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया	07-01-2021	अपर कलेक्टर, जिला-कोरबा
4.	डॉ. फरिहा आलम	07-01-2021	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदाबाजार-भाटापारा
5.	श्रीमती रोजिता यादव	07-01-2021	उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, वन विभाग
6.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	07-01-2021	उप सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर
7.	श्रीमती तुलिका प्रजापति	07-01-2021	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर-रामानुजगंज

2. उपरोक्त दर्शित अधिकारियों की भा.प्र.से. में नियुक्ति के दिनांक 07-01-2021 से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत अपर संचालक, उच्च शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक/810/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-3/99/14-3, दिनांक 15 मार्च, 2000 में आंशिक संशोधन करती है तथा मंडी क्षेत्र में राज्य के बाहर से लाई गई ऐसी अधिसूचित कृषि उपज (आयातित सामग्री) पर प्रत्येक 100 रुपये पर रुपये 0.50 (पचास पैसे) की दर से, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक के लिये, मंडी शुल्क नियत करती है।

यह भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/810/रायपुर दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 9th February 2021

No./810/D-15/116/part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) , the state Government, hereby, Partly amends this department's Notification No. D-15-3/99/14-3, dated 15th March, 2000 and fixes the market fees at the rate of Rs. 0.50 (Fifty paise) per 100 Rupees on such notified agriculture produce (imported commodities) brought from outside the State to the market area from 01st April, 2019 to 31st March, 2022.

It shall come into force with retrospective effect from the date of 1st April, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक/814/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन प्रसंस्करण हेतु केन्द्र/राज्य अर्द्ध-शासकीय निकायों अथवा व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से लाये गये दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर, दिनांक 01-04-2020 से 31-03-2022 तक के लिए मण्डी शुल्क में पूर्णतः छूट प्रदान करती है।

यह भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/814/रायपुर दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 9th February 2021

No./814/D-15/116/part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government, hereby, fully exempts market fees in whole on pulses, oilseeds and wheat brought from other State by the Central/State Semi-Government Bodies or businessman for processing under sub-section (1) of Section 19 of the said Act from 01-04-2020 till 31-03-2022.

It shall come into force with retrospective effect from the date of 1st April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 जनवरी 2021

क्रमांक 119/4876/2016/18.—श्री ऋतुराज रघुवंशी, आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को दिनांक 13-01-2021 से 17-01-2021 तक (05 दिवस) आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा अवकाश अवधि में श्री ए. के. द्विवेदी, उपायुक्त नगर पालिक निगम भिलाई अपने कार्य के साथ-साथ आयुक्त का प्रभार देखें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बिलासपुर के पुनर्गठित बिल्हा निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 1-2/2021/32.—छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 6 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री सतीश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला जज (सुपर टाईम स्केल) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करता है।

2. श्री सिंह की सेवा शर्त आदि पृथक से जारी की जावेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पथलगांव	सूरजगढ़ प.ह.नं. 22	0.852	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	घरजियांबथान जलाशय योजना की दांयी तट मुख्य नहर का शाखा नहर क्र. 03, 04 एवं 05 का अनिवार्य भू- अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पथलगांव
(ग) नगर/ग्राम-जामझोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.619 हेक्टेयर

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1क	0.032
31/1	0.030
31/2	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
31/3	0.016	474/6	0.032
26/1	0.064	474/3	0.097
26/2	0.012	474/4	0.024
2/1ख	0.030	475/2ख	0.020
324/1	0.056	475/4ख	0.186
505/3	0.231	475/4क	0.089
633/2	0.052	476/2	0.020
633/3	0.032	475/3क	0.024
661/3	0.016	475/2क	0.020
630/1च	0.008		
योग	13	योग	12
	0.619		0.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेरानाला जलाशय योजना के शाखा नहर क्र. 01 एवं पूरक का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

जशपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-जामझोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.763 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
715	0.085
432/1	0.146
432/2	0.020

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-जामझोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.213 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
64/1/क/1	0.210
149/1	0.224
146/3	0.080
64/1/क/4	0.093

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेरानाला जलाशय योजना की जामझोर शाखा नहर क्र. 02 का भू-अर्जन प्रकरण.
63	0.174	
149/2	0.040	
67/1क	0.154	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.
67/1ख	0.024	
65/1	0.214	
योग	09	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महादेव कावरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2020

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2020-21/13964.—मैं अमृत कुमार खलखो, गन्ना आयुक्त, छ.ग. रायपुर, दंतेश्वरी मैया, सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद जिला बालोद के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर बालोद द्वारा प्रस्तावित गन्ना क्षेत्र को, गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्न क्रय केन्द्र पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	आरक्षित ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कारखाना द्वार	बालोद	48	188.51
2.		गुरुर	62	119.34
3.		डौडी	25	33.50
4.		डौण्डी लोहारा	40	74.11
5.		गुण्डरदेही	44	100.87
6.		दुर्गा	5	6.13
7.		पाटन	3	2.70
8.		धमधा	1	11.00
9.		राजनांदगांव	5	9.30
10.		खैरागढ़	1	1.00
11.		धमतरी	7	11.50
12.		कुरुद	5	1.20
13.		मगरलोड	1	0.50
14.		चारामा	9	8.10
15.		भानुप्रतापपुर	1	2.00
16.		बेरला	1	50.24
योग			258	620.00

अमृत कुमार खलखो,
गन्ना आयुक्त

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-बालोद, करकाभाटा,
जिला बालोद (छ.ग.)

पेराई सत्र 2020-21 के लिये जिलावार/विकासखंडवार आरक्षित किए जाने वाले ग्रामों की सूची

क्र.	जिला/वि.ख.	कृषक संख्या	खुटी (पुराना) रकबा	पौधा (नया) रकबा	कुल गन्ना रकबा	अनुमानित औसत उत्पादन
1	जिला-बालोद	660	471.50	44.83	516.33	25817
1	वि.ख.-बालोद	216	170.40	18.11	188.51	9426
1	घुमका	4	3.80	0.20	4.00	200
2	खपरी	1	0.40	0.00	0.40	20
3	झलमला	3	4.12	0.00	4.12	206
4	बघमरा	1	0.60	0.00	0.60	30
5	बी. जामगांव	3	1.30	0.00	1.30	65
6	बरही	3	0.88	0.00	0.88	44
7	बोड़की	1	1.00	0.00	1.00	50
8	बालोद	4	4.50	0.00	4.50	225
9	बेलमाण्ड	3	1.41	0.00	1.41	71
10	करहीभदर	14	10.30	0.00	10.30	515
11	कोंहगाटोला	4	4.15	0.70	4.85	243
12	कन्नेवाड़ा	1	1.00	0.00	1.00	50
13	मटिया	2	4.90	0.00	4.90	245
14	मुजगहन	11	4.98	0.31	5.29	265
15	मुल्ले	1	1.20	0.00	1.20	60
16	मुल्लेगुड़ा	1	0.40	0.00	0.40	20
17	बिरेतरा	4	3.60	0.40	4.00	200
18	पिपरछेड़ी	10	8.96	0.00	8.96	448
19	चिरईगोड़ी	9	4.11	0.00	4.11	206
20	निपानी	12	14.94	0.40	15.34	767
21	लिमोरा	1	0.36	0.00	0.36	18
22	हीरापुर	12	8.48	1.20	9.68	484
23	हराठिमा	1	0.60	0.00	0.60	30
24	भोईनापार	3	1.60	0.00	1.60	80
25	भेंगारी	1	0.36	0.00	0.36	18
26	भे.नवागांव	6	4.50	1.56	6.06	303
27	परसाही	1	0.60	0.00	0.60	30
28	परसोदा	1	0.26	0.00	0.26	13

29	परसोदा ज	1	0.60	0.00	0.60	30
30	पाररास	1	0.80	0.00	0.80	40
31	पोण्डी	3	2.40	0.00	2.40	120
32	सांकरा क	8	5.47	0.00	5.47	274
33	सौहतरा	8	9.03	1.80	10.83	542
34	सुन्दरा	3	7.80	3.00	10.80	540
35	डेंगरापार	1	0.40	0.00	0.40	20
36	दर्रीटोला	3	2.57	0.00	2.57	129
37	चारवाही	13	8.21	2.04	10.25	513
38	तमोरा	9	6.30	1.04	7.34	367
39	तरौद	1	1.00	0.00	1.00	50
40	जमरूवा	5	4.59	0.00	4.59	230
41	जुंगेरा	2	1.80	0.00	1.80	90
42	नागाडबरी	16	13.76	5.00	18.76	938
43	नेवारीखुर्द	1	0.90	0.00	0.90	45
44	अंगारी	1	0.10	0.00	0.10	5
45	अमोरा	8	3.44	0.10	3.54	177
46	ओरमा	2	0.80	0.00	0.80	40
47	गोड़री	3	1.10	0.16	1.26	63
48	लाटाबोड़	9	5.22	0.20	5.42	271
2	वि.ख.-डौण्डी	39	29.90	3.60	33.50	1675
1	धोबेदंड	1	0.20	0.00	0.20	10
2	धुरवाटोला	1	0.60	0.00	0.60	30
3	घोटिया	2	1.30	0.00	1.30	65
4	खुर्सीटिकुर	2	1.70	0.00	1.70	85
5	झुरहाटोला	1	1.00	0.00	1.00	50
6	ठेमा बुर्जुग	1	0.50	0.00	0.50	25
7	बोरिद	1	0.80	0.00	0.80	40
8	बेलोदा	3	7.40	3.00	10.40	520
9	कुरूटोला	1	0.50	0.00	0.50	25
10	कुसुमकसा	1	0.40	0.00	0.40	20
11	मंगलतराई	7	4.30	0.00	4.30	215
12	मगरदाह	1	0.30	0.00	0.30	15
13	झिकाटोला	2	0.30	0.00	0.30	15
14	सिंघोला	1	0.00	0.60	0.60	30
15	चिहरो	1	2.00	0.00	2.00	100
16	गिधाली	1	1.20	0.00	1.20	60
17	परकालकसा	1	0.80	0.00	0.80	40

18	परसोदा	1	0.50	0.00	0.50	25
19	पेंड्री	3	2.00	0.00	2.00	100
20	साल्हे	1	1.00	0.00	1.00	50
21	उरझे	1	0.20	0.00	0.20	10
22	डौण्डी	1	0.30	0.00	0.30	15
23	दीघवाडी	2	1.70	0.00	1.70	85
24	फगुनदाह	1	0.80	0.00	0.80	40
25	नलकसा	1	0.10	0.00	0.10	5
3	वि.ख.-डौ.लोहारा	87	68.51	5.60	74.11	3706
1	खेरथा	1	0.80	0.00	0.80	40
2	खैरीडीह	2	4.50	0.00	4.50	225
3	खैरा	4	3.22	0.00	3.22	161
4	बडा जुंगेरा	1	0.40	0.00	0.40	20
5	बुन्देली	1	0.80	0.00	0.80	40
6	बुल्लूटोला	1	0.80	0.00	0.80	40
7	कापसी	1	1.00	0.00	1.00	50
8	कोबा	1	0.80	0.00	0.80	40
9	कोरगुडा	3	2.60	0.00	2.60	130
10	कोचेरा	1	0.90	0.00	0.90	45
11	कसही (लो)	1	1.20	0.00	1.20	60
12	कुआगांव	1	1.40	0.00	1.40	70
13	केरी जुंगेरा	2	2.00	0.00	2.00	100
14	महराजपुर	2	0.40	2.00	2.40	120
15	माटरी	1	3.00	0.00	3.00	150
16	मालीघोरी	1	0.80	0.00	0.80	40
17	बिजौरा	1	1.20	0.00	1.20	60
18	किसना	1	0.76	0.00	0.76	38
19	सिंगारपुर	1	0.40	0.00	0.40	20
20	चिखली	1	1.20	0.00	1.20	60
21	चिल्हाटीकला	7	6.30	0.80	7.10	355
22	हथौद	1	0.50	0.00	0.50	25
23	भीमकन्हार	1	1.21	0.00	1.21	61
24	परसार्डीह	1	0.52	0.00	0.52	26
25	परसुली	1	0.13	0.00	0.13	7
26	रानीतराई	1	0.30	0.00	0.30	15
27	रेंघई	15	8.58	0.80	9.38	469
28	रेंघनी	18	14.79	0.00	14.79	740
29	संबलपुर	1	0.40	0.40	0.80	40

30	संजारी	2	1.00	0.00	1.00	50
31	सोरली	1	0.00	1.00	1.00	50
32	सुरेगांव	1	0.60	0.00	0.60	30
33	सेम्हरडीह	1	1.70	0.00	1.70	85
34	देवरी पारी	1	0.40	0.00	0.40	20
35	फरदडीह	1	0.80	0.00	0.80	40
36	नांहदा	1	0.60	0.00	0.60	30
37	नारगी	1	0.40	0.00	0.40	20
38	ग. खपरी	1	0.25	0.00	0.25	13
39	ग. नवागांव	2	2.35	0.00	2.35	118
40	लोहारा	1	0.00	0.60	0.60	30
4	वि.ख.-गुण्डरदेही	129	87.97	12.90	100.87	5044
1	धनगांव	2	2.80	0.00	2.80	140
2	खपरी (ब)	1	0.30	0.00	0.30	15
3	खुंटेरी	1	0.10	0.00	0.10	5
4	खैरबना	2	3.00	0.00	3.00	150
5	ईरागुड़ा	2	3.00	0.00	3.00	150
6	बघेली	1	0.25	0.00	0.25	13
7	बरबसपुर	1	1.20	0.00	1.20	60
8	बोदल	2	1.50	1.00	2.50	125
9	बेलौदी	8	3.66	0.00	3.66	183
10	कांदुल	1	0.20	0.80	1.00	50
11	कोड़ेवा	1	1.20	0.00	1.20	60
12	कलंगपुर	3	2.70	0.00	2.70	135
13	मोखा	2	2.10	0.00	2.10	105
14	मोंगरी	1	1.60	0.00	1.60	80
15	भिलाई	1	0.50	0.00	0.50	25
16	पिनकापार	1	0.50	0.00	0.50	25
17	सियनमरा	1	0.36	0.00	0.36	18
18	सिराभाठा	1	0.30	0.00	0.30	15
19	चिचबोड़	7	5.28	0.00	5.28	264
20	टिकरी	1	3.50	0.00	3.50	175
21	हल्दी	1	0.00	0.20	0.20	10
22	भाठागांव	2	1.60	0.00	1.60	80
23	भोथीपार	9	4.24	0.60	4.84	242
24	भुसरेंगा	5	2.34	0.00	2.34	117
25	परसवानी	1	2.00	0.00	2.00	100
26	परसतराई	1	0.50	0.00	0.50	25

27	पसौद	2	1.24	0.00	1.24	62
28	पेण्ड्री	3	0.20	0.60	0.80	40
29	पेंड्री	25	10.30	4.80	15.10	755
30	पैरी	2	0.90	0.00	0.90	45
31	रजोली	1	0.00	0.40	0.40	20
32	सरेखा	1	2.00	0.00	2.00	100
33	सांकरी	2	1.60	0.00	1.60	80
34	सलोनी	2	0.90	0.00	0.90	45
35	देवगहन	1	3.00	0.00	3.00	150
36	चाराचार	1	0.40	0.00	0.40	20
37	फुण्डा	10	6.70	1.00	7.70	385
38	जोरातराई	3	3.20	2.30	5.50	275
39	जेवरतला	2	0.50	0.50	1.00	50
40	अचौद	8	3.60	0.50	4.10	205
41	अर्जुन्दा	1	3.00	0.00	3.00	150
42	गब्दी	2	2.00	0.00	2.00	100
43	गोरकापार	2	2.00	0.00	2.00	100
44	लासाटोला	1	0.80	0.20	1.00	50
5	वि.ख.-गुरुर	189	114.72	4.62	119.34	5967
1	धोबनपुरी	3	1.20	0.00	1.20	60
2	धनेली	4	4.10	0.00	4.10	205
3	रुपुटोला	5	1.80	0.00	1.80	90
4	धोबनपुरी	1	0.00	0.20	0.20	10
5	घोघोपुरी	13	8.90	0.25	9.15	458
6	खर्रा	3	2.40	0.00	2.40	120
7	खोरदो	1	1.00	0.00	1.00	50
8	खुन्दनी	2	0.50	0.10	0.60	30
9	खैरीडीगी	2	1.90	0.00	1.90	95
10	ठेकवाडीह	16	11.22	1.60	12.82	641
11	बोरतरा	1	0.20	0.00	0.20	10
12	बोड़रा	1	0.20	0.00	0.20	10
13	बालोदगहन	2	1.40	0.00	1.40	70
14	बगदई	1	0.60	0.00	0.60	30
15	कंकालीन	2	0.70	0.00	0.70	35
16	कंवर	1	1.20	0.00	1.20	60
17	करियाटोला	3	0.80	1.00	1.80	90
18	कपरमेटा	3	2.70	0.00	2.70	135
19	करैझर	3	3.50	0.00	3.50	175

20	कुम्हारखान	1	0.80	0.00	0.80	40
21	कन्हारपुरी	3	2.13	0.00	2.13	107
22	मंगचुवा	3	1.70	0.00	1.70	85
23	मरकाटोला	2	1.60	0.20	1.80	90
24	मोखा	1	0.60	0.00	0.60	30
25	मुडखुसरा	2	0.70	0.00	0.70	35
26	मुडपार	3	2.30	0.50	2.80	140
27	मुडगहन	1	0.80	0.00	0.80	40
28	मुजालगौदी	6	2.00	0.00	2.00	100
29	मुजगहन	1	0.50	0.00	0.50	25
30	हितेकसा	17	5.95	0.40	6.35	318
31	धिरचारी	5	5.10	0.00	5.10	255
32	भरदा	1	0.90	0.00	0.90	45
33	भोथली	2	0.75	0.00	0.75	38
34	भानपुरी	2	1.10	0.00	1.10	55
35	भेजा जंगली	1	0.00	0.20	0.20	10
36	पेण्डरवानी	2	1.40	0.00	1.40	70
37	पेरपार	1	1.20	0.00	1.20	60
38	रमतारा	9	5.45	0.00	5.45	273
39	सांगली	1	1.90	0.50	2.40	120
40	सौंहपुर	1	0.35	0.00	0.35	18
41	सोरर	5	2.90	0.00	2.90	145
42	सो.डों.	7	5.88	0.00	5.88	294
43	सुरा	1	0.40	0.00	0.40	20
44	दानीटोला	1	0.40	0.00	0.40	20
45	दुपचेरा	2	1.40	0.00	1.40	70
46	छेड़िया	7	3.00	0.00	3.00	150
47	चुल्हापथरा	10	4.69	0.00	4.69	235
48	फागुनदाह	1	0.60	0.00	0.60	30
49	तार्री	2	0.90	0.00	0.90	45
50	जेवरतला	1	0.40	0.00	0.40	20
51	जगतारा	2	1.10	0.00	1.10	55
52	नंगझर	1	1.20	0.00	1.20	60
53	नारागांव	1	0.50	0.30	0.80	40
54	नैकुरा	1	0.80	0.00	0.80	40
55	नगबेलडीह	2	0.50	0.00	0.50	25
56	अकलवारा	1	1.20	0.00	1.20	60
57	अरमरीकला	3	1.80	0.00	1.80	90

58	आमापानी	1	1.00	0.00	1.00	50
59	ओड़ेनाडीह	2	0.80	0.00	0.80	40
60	टे.बरपारा	2	0.80	0.00	0.80	40
61	अर्जुनी	1	1.40	0.00	1.40	70
62	गुरुर	3	2.00	0.00	2.00	100
2	जिला-दुर्ग	9	19.83	0.00	19.83	992
1	वि.ख.-दुर्ग	5	6.13	0.00	6.13	307
1	कोड़िया	1	1.00	0.00	1.00	50
2	कुथरेल	1	0.40	0.00	0.40	20
3	चिंगरी	1	0.40	0.00	0.40	20
4	उतई	1	0.93	0.00	0.93	47
5	अण्डा	1	3.40	0.00	3.40	170
2	वि.ख.-धमघा	1	11.00	0.00	11.00	550
1	राखीजोवा	1	11.00	0.00	11.00	550
3	वि.ख.-पाटन	3	2.70	0.00	2.70	135
1	बटरेल	1	0.40	0.00	0.40	20
2	कानाकोट	1	1.50	0.00	1.50	75
3	हचलपुर	1	0.80	0.00	0.80	40
3	जिला-राजनांदगांव	6	10.30	0.00	10.30	515
1	वि.ख.-राजनांदगांव	5	9.30	0.00	9.30	465
1	खैरा	1	2.50	0.00	2.50	125
2	इन्दावनी	1	1.00	0.00	1.00	50
3	गोड़ालवही	1	1.00	0.00	1.00	50
4	दिवानभेड़ी	1	0.80	0.00	0.80	40
5	चितवाकोन्हा	1	4.00	0.00	4.00	200
2	वि.ख.-खैरागढ़	1	1.00	0.00	1.00	50
1	मड़ौदा	1	1.00	0.00	1.00	50
4	जिला-धमतरी	16	13.20	0.00	13.20	660
1	वि.ख.-धमतरी	10	11.50	0.00	11.50	575
1	सलोनी	2	1.00	0.00	1.00	50
2	जोगीडीह	2	0.60	0.00	0.60	30
3	आमदी	1	4.80	0.00	4.80	240
4	मड़वापथरा	1	0.80	0.00	0.80	40
5	मुजगहन	1	3.00	0.00	3.00	150
6	झिरिया	2	1.20	0.00	1.20	60
7	डीमरटिकुर	1	0.50	0.00	0.50	25
2	वि.ख.-कुरुद	5	1.20	0.00	1.20	60
1	सिलघट	1	0.40	0.00	0.40	20

2	चोरभट्टी	1	0.20	0.00	0.20	10
3	बोरझर	1	0.20	0.00	0.20	10
4	पचपेड़ी	1	0.20	0.00	0.20	10
5	गाड़ाडीह	1	0.20	0.00	0.20	10
3	वि.ख.-मगरलोड	1	0.50	0.00	0.50	25
1	धौराभाठा	1	0.50	0.00	0.50	25
5	जिला-कांकेर	10	10.10	0.00	10.10	505
1	वि.ख.-मानुप्रतापपुर	1	2.00	0.00	2.00	100
1	सेलेगांव	1	2.00	0.00	2.00	100
2	वि.ख.-चारामा	9	8.10	0.00	8.10	405
1	बागडोंगरी	1	0.20	0.00	0.20	10
2	कोटतरा	1	2.00	0.00	2.00	100
3	कसावही	1	0.60	0.00	0.60	30
4	परसोदा	1	1.20	0.00	1.20	60
5	साल्हेटोला	1	1.00	0.00	1.00	50
6	दरगहन	1	0.10	0.00	0.10	5
7	चारामा	1	0.60	0.00	0.60	30
8	चुचरुंगपुर	1	1.20	0.00	1.20	60
9	गुहाबोरण्ड	1	1.20	0.00	1.20	60
6	जिला-बेमेतरा	5	50.24	0.00	50.24	2512
1	वि.ख.-बेमेतरा	5	50.24	0.00	50.24	2512
1	बेमेतरा	5	50.24	0.00	50.24	2512
महायोग:-	ग्राम संख्या-258	706	575.17	44.83	620.00	31000

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th February, 2021

No. 76/Confdl./2021/II-2-3/2002 (Pt. III).— The following District Judges (Entry Level), as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, appointed to the category of District Judge (Selection Grade) in the Pay-scale of Rs. 144200-218200 from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer with designation	Date of appointment to the category of District Judge (Selection Grade)
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Shailesh Kumar Tiwari, Chairman, Permanent Lok Adalat, Jagdalpur.	09-02-2021
2.	Ku. Saroj Nand Das, Judge, Family Court, Surajpur	09-02-2021

(1)	(2)	(3)
3.	Shri Santosh Kumar Aditya, I Additional District and Sessions Judge, Sakti.	09-02-2021
4.	Shri Sanjeev Kumar Tamak, III Additional District and Sessions Judge, Bilaspur.	09-02-2021
5.	Shri Khilawan Ram Rigri, I Additional District and Sessions Judge, Bilaspur.	09-02-2021
6.	Ku. Sanghratna Bhatpahari, Additional District and Sessions Judge, II Fast Track Special Court, Bilaspur.	09-02-2021
7.	Shri Jaideep Grag, I Additional District and Sessions Judge, Ambikapur.	09-02-2021
8.	Shri Thomas Ekka, Judge, family Court, Ambikapur	09-02-2021
9.	Shri Devendra Nath Bhagat, I Additional District and Sessions Judge, Jagdalpur.	09-02-2021
10.	Shri Santosh Kumar Tiwari, Additional Registrar (Judicial) & (Classification), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	09-02-2021
11.	Shri Shailesh Kumar Ketarap, President, District consumer Disputes Redressal Forum, Dhamtari.	09-02-2021
12.	Shri Prafull Kumar Sonwani, I Additional District and Sessions Judge, Baloda-Bazar.	09-02-2021
13.	Shri Manvendra Singh, Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court, Manendragarh.	09-02-2021
14.	Shri Rajbhan Singh, Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court, Gariaband.	09-02-2021
15.	Shri Mohan Prasad Gupta, I Additional District and Sessions Judge, Surajpur.	09-02-2021
16.	Shri Ramjivan Dewangan, II Additional District and Sessions Judge, Durg.	09-02-2021
17.	Shri Omprakash Singh Chauhan, Judge, Family Court, Raigarh	09-02-2021
18.	Shri Neeraj Sharma, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur.	09-02-2021
19.	Shri Gopal Krishna Neelam, Additional District and Sessions Judge, Pratappur.	09-02-2021
20.	Shri Liladhar, Sarthi, Presiding Officer, Wakf Tribunal, Raipur	09-02-2021
21.	Shri Rajeev Kumar, Additional District and Sessions Judge, I Fast Track Special Court, Raipur.	09-02-2021
22.	Shri Pravin Kumar Pradhan, I Additional District and Sessions Judge, Korba.	09-02-2021

(1)	(2)	(3)
23.	Shri Rishi Kumar Burman, I Additional District and Sessions Judge, Balrampur at Ramanujganj.	09-02-2021
24.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, III Additional District and Sessions Judge, Surajpur.	09-02-2021
25.	Shri Suresh Joon, II Additional Judge to the Court of I Additional District and Sessions Judge Raipur.	09-02-2021
26.	Shri Vinod Kumar Dewangan, I Additional District and Sessions Judge, Dantewara.	09-02-2021
27.	Smt. Neelima Singh Baghel, Additional District and Sessions Judge, Mungeli.	09-02-2021
28.	Smt. Geeta Neware, Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court, Sakti.	09-02-2021
29.	Shri Dukhi Ram Dewangan, Additional District and Sessions Judge, Sarangarh.	09-02-2021
30.	Shri Prabodh Toppo, Additional District and Sessions Judge, Fast Track Special Court, Mungeli.	09-02-2021
31.	Shri Srinarayan Singh, Chairman, Permanent Lok Adalat, Bilaspur.	09-02-2021

By order of the High Court,
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.